भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2657

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

केरल को कोयले की आपूर्ति

2657. श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) के अनुसार केरल में विद्युत उत्पादन इकाइयों के लिए प्रतिदिन के लिए आवश्यक मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कोयले की आपूर्ति संबंधी समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने कोयले के परिवहन के लिए पर्याप्त रेल रैक उपलब्ध कराने के लिए कोई समझौता किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : केरल राज्य में विद्युत की मांग को ध्यान में रखते हुए तथा विद्युत मंत्रालय की सिफारिश पर विचार करते हुए, शक्ति नीति के पैरा ख (IV) के अंतर्गत केरल राज्य को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से 50 मे.वा. क्षमता का कोयला लिंकेज उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित किया गया है। तदनुसार, सीआईएल ने अगस्त 2025 से निर्धारित कोयला आपूर्ति सहित चिन्हित कोयला लिंकेज के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) से कोयला आवंटित किया है।

(ख) और (ग) : विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करना एक सतत प्रक्रिया है। विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति के मुद्दों का समाधान करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी उप समूह जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), सीआईएल और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ताप विद्युत

संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने हेतु नियमित रूप से बैठक करते हैं।

इसके अलावा, एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का भी गठन किया गया है जिसमें अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड; सचिव, कोयला मंत्रालय; सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सचिव, विद्युत मंत्रालय शामिल हैं, जो कोयला आपूर्ति और विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की निगरानी करती है। सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और अध्यक्ष, सीईए को आईएमसी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर विशेष आमंत्रित के रूप में सहयोजित किया जाता है।

*****